न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद
मु०नं० 47 धारा 143 ज०वि०अधि०
रिनमेन्ट रीजनल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्निकल सेक्रेटरी बनाम ग्रामसभा
मौजा करेहुआ कलां परगना झूंसी तहसील फूलपुर इलाहाबाद
नकल निर्णय दि० 2-2-13

न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद

नं० मु०- 47 वर्ष-2013ई० धारा 143 ज०वि०अधिनियम

रिनमेन्ट रीजनल मैनेजमेंट एण्ड टेक्निकल लेटेरेटी--बनाम--ग्राम सभा

मौजा-करेहुआ कला, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद रिनमेन्ट रीजनल मैनेजमेंट एण्ड टेक्निकल लेटेरेटी सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष आनन्द अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मणदास अग्रवाल ने इस आशय से योजित किया है कि मौजा करेहुआ कला, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद की आराजी संख्या-07 रकबा 0.3120 हे० व आराजी नं०-8 रकबा 0.2670 हे० मे० 2540 हे० स्थित मौजा करेहुआ कला का मालिक काबिज व दखील है। उपरोक्त रकबे पर वादी पूरे रकबे पर स्कूल बने हुये है, कृषि कार्य नही होता है, अकृषिक क्षेत्रफल घोषित किये जाने की माँग की है।

पत्रावली जाँच हेतु तहसीलदार फूलपुर को भेजी गयी तहसीलदार फूलपुर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/नायब तहसीलदार से जाँच करायी गयी जाँच में यह पाया गया कि वादी द्वारा आ० नं०-7 रकबा 0.3120हे० व गाटा संख्या-8 रकबा0.2670 हे० पर रिनमेंट रिजनल मैनेजमेंट एण्ड टेक्निकल लेटेरेटी सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व० लक्ष्मण दास अग्रवाल का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर - अंकित है। गाटा संख्या-7 रकबा 0.1100 हे० व गाटा संख्या-8 रकबा 0.1440 हे० पर स्कूल बना है, जिस पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। अकृषिक क्षेत्रफल घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे ग्राह्य किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम करेहुआ कला, परगना झूँसी, तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद की आराजी संख्या-7 रकबा 0.3122 हे० में रकबा 0.1100 हे० व गाटा संख्या-8 रकबा 0.2670 में से रकबा 0.1440 हे० कुल 02 गाटा रकबा - 0.254 हे० अकृषिक भूमि घोषित की जाती है, तहसीलदार फूलपुर की आख्या दिनांक 20-3-12 आदेश का अंग होगा, उक्त आदेश का प्रभाव किसी भी खातेदार के विशिष्ट अंश व चौहद्दी व स्वामित्व पर नही पड़ेगा। परवाना जारी हो, बाद आवश्यक - कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

2-2-13

(सीताराम गुप्त)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
इलाहाबाद।

11-2-13
12-02-13
13-2-13
225

TRUE COPY
13/2/13